



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ़ 1943 (शुक्र)

(सं० पटना 567) पटना, सोमवार, 5 जुलाई 2021

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

2 जुलाई 2021

सं०-04/वी०मु०-20-17/21-1652/एम०-खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा- 15 के साथ सह पठित धारा- 23 ग एवं धारा- 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- नियम- 17(6)(v) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 17(6)(vi) जोड़ा जायेगा :-**
17(6)(vi)—खनन योजना का हस्तान्तरण:—किसी भी खनिज समानुदान के समयपूर्व समाप्त किये जाने अथवा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में अनुमोदित खनन योजना नये बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी/समानुदानधारी के साथ बंदोबस्ती की स्थिति में स्वतः स्थानान्तरित समझी जायेगी।
- नियम- 18(3) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 18(4) जोड़ा जायेगा :-**
18(4)—पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तान्तरण:—सरकार द्वारा विधि मान्य प्रक्रिया से बंदोबस्ती/अनुज्ञप्ति/समानुदान रद्द किये जाने या विधिक कार्रवाई या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में वैसे खनिज अनुदान/पट्टा/बालूघाट/बालू खण्ड/खदान के लिए स्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति जिस अवधि के लिए पूर्व में निर्गत हो, उसे विधिमन्य ईकाई (Entity) को निर्धारित या विस्तारित अवधि के लिए स्थानान्तरित की जायेगी।
इसके लिए सहायक निदेशक (मु०)/निदेशक खान/ संयुक्त सचिव या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी स्थानान्तरणकर्ता के रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अधिकृत होंगे।
- उप नियम- 29घ के प्रथम पंक्ति में शब्द 'सकेगा' को शब्द 'करेगा' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।**
- नियम- 30(4) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 30(5) जोड़ा जायेगा :-**
30(5) जो कोई भी उप नियम 30(1), (2) एवं (4) का उल्लंघन करता है एवं भुगतान करने से इन्कार करता है तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा कारावास से जिसे 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, से दण्डनीय होगा।
- नियम- 39 का उप नियम- (3) निम्नवत संशोधित किया जायेगा :-**

39 (3). जो कोई भी यदि प्रपत्र 'ज' में एक रजिस्टर संधारित करने अथवा प्रपत्र 'ट' में लाइसेंस प्राप्त करने अथवा प्रपत्र 'झ' में अथवा विहित प्रपत्र में चालान निर्गत करने में असफल रहता है वह नियम-56 के तहत दंड का दायी होगा।

7. नियम-56 निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

56. खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण:-(1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में, उत्खनन या निकासी या खनन संक्रियाएं इस नियमावली के अधीन खनिज समानुदान, या अनुज्ञप्ति या अन्य किसी अनुमति के बिना या परिवहन या भंडारण या परिवहन का कारण या किसी खनिज का भंडारण बिना वैध चालान या अनुज्ञप्ति के नहीं करेगा।

(2) जो कोई भी उपरोक्त उप-नियम का उल्लंघन करेगा वह साधारण कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जुर्माने से जिसे पाँच लाख रुपये तक तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनो से दंडनीय होगा।

परन्तु जिला का खनन पदाधिकारी या सहायक, उप, अपर निदेशक या निदेशक खान या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अभियोजन संस्थित के पूर्व या पश्चात् उपरोक्त नियम के उल्लंघन के लिए निम्नवत निर्धारित खनिज मूल्य एवं शमन शुल्क के भुगतान के पश्चात् अपराध का शमन कर सकेगा :-

क्रम सं०	वाहन/उपकरण	शमन शुल्क (रु० में)
1	2	3
1.	ट्रैक्टर ट्रॉली	25000/-
2.	मेटाडोर/हाफ ट्रक 407, 608	50000/-
3.	फुल बॉडी ट्रक/डम्पर (हाइड्रोलिक 06 चक्का वाहन)	100000/-
4.	10 एवं इससे अधिक चक्का के वाहन	200000/-
5.	क्रेन, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेसर, ड्रिलिंग मशीन आदि।	400000/-

नोट:-खनिज का मूल्य, स्वामिस्व पर्यावरणीय क्षति के लिए भरपाई एवं बिना विधिक अधिकार के भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतेय कर के बदले में स्वामिस्व का पच्चीस गुणा लिया जा सकेगा।

परन्तु उपरोक्त के अलावा अन्य मामलों में खनिज मूल्य के साथ शमन शुल्क पच्चीस हजार रु० से न्यून नहीं होगा।

(3) जब कभी किसी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी विधिक अधिकार के, बगैर खनिज अनुदान या अन्य अनुमति के, खनिज का उठाव किये जाने की स्थिति में वहाँ लाये गए मशीन, उपकरण, वाहन या अन्य सामाग्री लायेगा, उसे जिला के खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी या सहायक, उप, अपर निदेशक या निदेशक खान या समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी द्वारा जप्त कर उस व्यक्ति को जिसके अधिकार में होगा, उसे जप्त कर उसे जप्त सामाग्री या खनिज की प्राप्ति रसीद देगा।

परन्तु इस नियम के अधीन जप्ति करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी जप्त किये गए सामाग्री या खनिज को निकटतम पुलिस थाना या पुलिस चौकी को सुपूर्द करेगा।

परन्तु यह भी कि जप्त वाहन, उपकरण या खनिज को उप नियम- 2 वर्णित शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य के भुगतान के पश्चात् विमुक्त किया जा सकेगा।

परन्तु उठाव किये गए खनिज के प्रेषण या उपयोग कर लिये जाने कि स्थिति में उप नियम- 2 में वर्णित शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य की वसूली, उप नियम- 3 में वर्णित प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

परन्तु यह भी कि जहाँ जप्त वाहन, उपकरण या खनिज विमुक्त नहीं हो, सामाग्री या खनिज को जप्त करने वाला पदाधिकारी समाहर्ता को चौबीस घंटे के भीतर प्रतिवेदित करेगा।

(4) इस नियम के तहत जप्त सभी सामाग्रियों को समाहर्ता के आदेश से राज्यसात किया जायेगा, यदि खनिज मूल्य, स्वामिस्व पर्यावरणीय क्षति के लिए भरपाई एवं बिना विधिक अधिकार के भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतेय कर के बदले में स्वामिस्व का पच्चीस गुणा के समतुल्य, शमन शुल्क के साथ उल्लंघनकर्ता द्वारा उल्लंघन के पता चलने के एक माह के अन्दर भुगतान नहीं करता है या निर्धारित अवधि तक वसूली नहीं की जाती है।

परन्तु एक माह की निर्धारित अवधि के विरुद्ध सभी बकाया का भुगतान किये जाने पर सभी जप्त सामाग्री विमुक्त का आदेश दिया जायेगा एवं उल्लंघनकर्ता या सामाग्री के स्वामी को हस्तगत करा दिया जायेगा।

(5) इस नियम के उल्लंघनकर्ता के कंपनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति उल्लंघन के घटित होने के समय कंपनी के प्रभारी जो कंपनी के व्यापार के लिए उत्तरदायी होंगे, उल्लंघन के लिए दोषी होंगे एवं तदनुसार अभियोजन एवं दंड के भागी होंगे।

(6) खनन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग अवैध खनन एवं परिवहन की निगरानी हेतु समन्वित प्रयास करेंगे।

(7) इस नियम के तहत जप्त सामग्री के अभिग्रहण एवं नीलामी की प्रक्रिया :-

(i) उप नियम- 2 के अध्यक्षीन, समाहर्ता अभिगृहीत सम्पत्ति के अपने समक्ष पेश करने पर या अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने पर, यथाशक्य, यह समाधान होता है कि वह अपराध उसके सम्बंध में कारित किया गया है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों को इस प्रकार अभिगृहीत खनिज के साथ औजारों, आयुधों, नौकाओं, यानों, रस्सियों, जंजीरों या किसी अन्य सामग्री के साथ, जिसका प्रयोग ऐसे अपराध को कारित करने में किया गया है, अधिहरण कर सकेगा। अधिहरण पर आदेश की प्रति खान आयुक्त को असम्यक् विलम्ब के बिना भेजी जायेगी।

(ii) किसी सम्पत्ति का अधिहरण करने वाला कोई आदेश उप-नियम 7 (i) के अधीन नहीं किया जायेगा, जब तक प्राधिकृत अधिकारी-

(क) व्यक्ति को, जिससे सम्पत्ति अभिगृहीत की जाती है और किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में नोटिस नहीं भेजता, जो ऐसी सम्पत्ति में कुछ हित धारण करने के लिए समाहर्ता के समक्ष उपस्थित हो सकेगा ;

(ख) ऐसे युक्तियुक्त समय के अन्तर्गत जैसा कि प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, अभ्यावेदन करने के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट व्यक्तियों को अवसर प्रदान नहीं करता; और

(ग) अधिग्रहण करने वाले अधिकारी और व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिसको नोटिस खण्ड-ख के अधीन जारी की गयी है, ऐसे प्रयोजनों के लिए नियम की जाने वाली तारीख को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करता।

(iii) उपनियम-1 के अधीन किसी औजार, आयुध, नौका, यान, रस्सी, जंजीर या किसी अन्य सामान (अधिगृहीत खनन क्रिया के अधीन) के अधिहरण को कोई आदेश नहीं किया जायेगा, यदि उप-नियम-7(ii) के खण्ड-ख में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के समाधान को साबित करता है कि किसी ऐसे औजार, आयुध, नौका, रस्सी, जंजीर या अन्य सामानों का प्रयोग उसके ज्ञान या सुविधा के बिना या यथास्थिति, उसके सेवक या अभिकर्ता के ज्ञान या सुविधा के बिना किया गया था और सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानी खनन अपराध के कारित करने के लिए पूर्वोक्त उद्देश्य के प्रयोग के विरुद्ध की गयी थी।

(iv) सभी अधिगृहीत औजार, आयुध, नौका, यान, रस्सी, जंजीर या किसी अन्य सामान को सरकारी नियमों के अन्तर्गत नीलाम किया जायेगा।

(v) अधिहरण एवं नष्ट करने के आदेश का अन्य दंड के साथ हस्तक्षेप न होना।-इस नियम के अधीन किसी अधिहरण का आदेश किसी अन्य दंड के अधिरोपण को नहीं रोकेंगा जिसका उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस नियमावली के अधीन, दंड का दायी है।

(8) एक नया नियम-56(क) जोड़ा जायेगा :-

56(क) अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील-अधिहरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर, या यदि ऐसे आदेश के तथ्य की संसूचना उसको नहीं दी गयी है, तो ऐसे आदेश के ज्ञान की तारीख के तीस दिनों के भीतर ऐसे प्रारूप में संदेय ऐसी फीस के साथ जैसा कि विहित किया जाये, लिखित में अपील अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ जिसमें खनन सामग्री का अभिग्रहण किया गया है, खान आयुक्त (एतस्मिन्पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) के समक्ष दाखिल कर सकेगा।

स्पष्टीकरण-(1) अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की गणना करते समय अपवर्जित किया जायेगा।

(2) नियम-52-(क) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकार जहाँ कोई अपील उसके समक्ष दाखिल नहीं की गयी है "स्वप्रेरणा से उसके द्वारा अधिहरण के आदेश की प्रति के प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर और अपील के ज्ञापन के पेश करने पर अपील की सुनवाई के लिए या यथास्थिति "स्वप्रेरणा से" कार्रवाई की नोटिस अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को और किसी व्यक्ति को (अपीलार्थी, यदि कोई हो, शामिल करके, जो अपीलीय प्राधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश द्वारा प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किये जाने के लिए सम्भाव्य है) नोटिस जारी कर सकेगा और करेगा और मामले के अभिलेख की माँग कर सकेगा।

परन्तु अपील की कोई औपचारिक नोटिस अपीलार्थी अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और पूर्वोक्त रूप में प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होने के लिए सम्भाव्य अन्य व्यक्तियों में से ऐसे को जारी

किये जाने की आवश्यकता नहीं है, जो नोटिस का त्यजन करने या जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील को सुनवाई की तारीख की किसी अन्य ढंग में सूचना दी जाय।

(3) अपीलीय प्राधिकारी लिखित में अपील दाखिल करने या "स्वप्रेरणा से" कार्रवाई के बारे में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना भेजेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी अधिहरण की विषयवस्तु की अभिरक्षा, परिरक्षण या व्ययन (यदि आवश्यक हो के लिए "अन्तरिम" प्रकृति का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत या उचित होना प्रतीत होता है।

(5) अपीलीय प्राधिकारी मामले की प्रकृति या अन्तर्ग्रस्त जटिलताओं को अध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को उनके विधिक व्यावसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने की अनुमति दे सकेगा।

(6) अपील या "स्वप्रेरणा से" कार्रवाई की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को या ऐसी तारीख को जिसको सुनवाई स्थगित की जा सकेगी, अपीलीय प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों को यदि उपस्थित हैं व्यक्तिगत रूप से या लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से या विधिक व्यवसायी के माध्यम से सुनेगा और इसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की अभिपुष्टि उलटने या उपान्तरण का आदेश पारित करने की कार्यवाही करेगा।

परन्तु कोई अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व अपीलीय प्राधिकारी यदि अपील के समुचित विनिश्चय के लिए या "स्वप्रेरणा से" कार्रवाई के समुचित निस्तारण के लिए आवश्यक समझा जाता है स्वयं आगे जाँच कर सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे करा सकेगा और पक्षकारों को किसी तथ्य का प्राख्यान करने या खण्डन करने के लिए शपथ पत्रों को दाखिल करने की भी अनुज्ञा दे सकेगा, जो विचारण के लिए उत्पन्न हो सकता है और शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों के सबूत की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपीलीय प्राधिकारी पारिणामिक प्रकृति का ऐसा आदेश भी पारित कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

(8) पारिणामिक प्रकृति के आदेश पर अंतिम आदेश की प्रति अनुपालन के लिए या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अनुपालन में कोई समुचित आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को भेजी जायेगी।

9. नियम- 83(4) के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 83 (5) जोड़ा जायेगा :-

83(5). प्रतिकर चुकाने के लिए समाहर्ता द्वारा आदेश। - (i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2/1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समाहर्ता इस नियमावली के अधीन आदेश पारित करते समय, यदि उसका समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति को बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी, के कार्य के कारण नुकसान हुआ है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एक उचित रकम चुकाने का आदेश दे सकेगा।

(ii) बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंतर्गत उक्त प्रतिकर रकम का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में, समाहर्ता उक्त रकम प्रभावित व्यक्ति को दे सकेगा और उसके बाद उक्त प्रतिकर रकम लोक माँग के रूप में लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़िसा अधिनियम IV/1914) के अधीन वसूल कर सकेगा।

(iii) उप नियम (i) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिनों के अंदर खान आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा।

परन्तु कोई भी अपील इस नियमावली के अधीन किये गये किसी आदेश के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा जबतक कि अपीलकर्ता द्वारा उप नियम (i) के अधीन भुगतान किये जाने वाले आदेशित रकम का 40% या अपीलकर्ता बकाया रकम को स्वीकार करता हो, जो भी अधिक हो, खान आयुक्त न्यायालय में जमा न किया जाये।

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि के समापन पर अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह संतुष्ट हो जाये कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

The 2nd July 2021

Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Amendment Rules, 2021.

No. 04/V.MU.-20-17/21-1652/M--In exercise of the powers conferred under section 15 read with section 23 C and Section 26 of Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules regarding the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019.

1. **Short title, extent and commencement :-** (1) These Rules shall be called Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Amendment Rules, 2021.
(2) It shall extend to the whole state of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **The following new sub rule 17 (6) (vi) shall be added after Rule 17(6) (v):-**
17(6)(vi). Transfer of Mining Plan:- In case of premature termination or surrender of any mineral concession the approved mine plan shall be deemed to be transferred to any legal person to whom such mineral concession is subsequently settled.
3. **The following new Rule 18 (4) shall be added after Rule 18 (3) of the Rules :-**
18 (4) Transfer of Environmental Clearance. :-Where a settlement of mineral concession is cancelled by the Government in accordance with law or in any legal proceeding or is surrendered by the mineral concession holder, the environmental clearance granted in respect of such mineral concession/lease/sand ghat/sand block/quarry may be transferred to any entity subject to the same or extended validity period.
For this the Assistant Director (H.Q.)/ Director Mines /Joint Secretary or any other officer authorized by the government shall issue no objection certificate in the capacity of transferor.
4. **In sub Rule 29 F, the word 'may' in the first line shall be substituted by the word 'shall'.**
5. **A new sub Rule 30(5) shall be inserted as follows :-**
30(5) - Whoever contravenes the provision of sub rule 30 (1), (2) & (4) and refuses to make payment shall be punished by the competent Court with imprisonment for a term which may extend upto two years.
6. **The sub rule (3) of Rule 39, would be amended to read as follows :-**
" 39(3): Whosoever fails to obtain a license in Form K , or issue a challan in Form G, or maintain the register in form 'H', or is found to violate the rules, would be liable for punishment under rule 56".
7. **Rule 56 shall be substituted by the following:-**
56. Illegal mining, transportation and storage of minerals :-
(1) No person shall extract or remove or undertake any mining operation in any area without holding any mineral concession, permit or any other permission granted or permitted under these rules, or shall transport or store or cause to be transported or stored any mineral without a valid challan or license.
(2) Whoever contravenes the above sub rule shall be punished with an imprisonment for a term, which may extend to two years or with a fine which may extend to five lakh rupees, or with both:

Provided that the mining officer of the district or the Assistant, Deputy, Additional Director or Director Mines, or any other officer authorized by the Government, may either before or after the institution of the prosecution, compound

the offence committed in contravention of the above rule, on payment of cost of mineral and compound fee as mentioned below:-

Sl. No	Vehicle/Equipment	Compound fee (in Rs.) Per unit
1	Tractor trolley	25000/-
2.	Matador/Half truck 407,608	50000/-
3.	Full body truck/ Dumper (hydraulic 6 wheeler vehicle)	100000/-
4.	10 or more than 10 wheeler vehicle	200000/-
5.	Crane, Excavator, Loader, Power hammer, Compressor, Drilling machine etc.	400000/-

Note:- Cost of the mineral shall be taken as twenty five times of royalty in lieu of rent, royalty, compensation for environmental degradation and tax chargeable on the land occupied without lawful authority, etc..

Provided that the amount of compound fee in cases other than specified as above shall not be less than rupees twenty five thousand and shall be in addition to the cost of mineral.

(3) Whenever any person, without a lawful authority, raises any mineral from any land other than under any mineral concession or any other permission and for that purpose bring on the land any tool, equipment, vehicle or other thing, such tool, equipment, vehicle etc. along with mineral, if any, shall be seized by the mining officer or a police officer of the district or any other officer authorized by the Collector, who shall give a receipt to the person from whose possession the property or mineral is seized:

Provided that every officer seizing any property or mineral under this rule, shall handover the property or mineral so seized to the nearest police station or police chauki.

Provided further that, the seized vehicle, equipment or mineral shall be released after deposition of cost of mineral along with the compound fee as specified in sub-rule (2).

Provided also that, where mineral so raised has already been dispatched or consumed, the authorities mentioned in sub-rule (3) shall recover cost of mineral along with the compound fee as specified in sub-rule (2).

Provided also that where vehicle, equipment or mineral so seized is not released, the officer seizing the property or mineral shall make a report of such seizure within twenty four hours to the Collector.

(4) All property seized under this rule shall be liable to be confiscated by an order of the Collector if the amount equal to twenty five times of royalty in lieu of cost of mineral, rent, royalty, compensation for environmental degradation and tax chargeable on the land occupied without lawful authority etc., along with compound fee is not paid by the offender within a period of one month from the date of commission of such offence or when the recoveries are not affected by that time:

Provided that on payment of these dues within the said period of one month, all properties seized shall be ordered to be released and shall be handed over to the offender or the owner of the property.

- (5) Where the person committing an offence under these rules is a company registered under Companies Act, every person who at the time when the offence was committed, was in charge and was responsible to the company for conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be prosecuted and punished accordingly:
- (6) The mines, revenue, police and transport department shall make coordinated efforts to vigil illegal mining or transportation of the mineral.
- (7) Procedure for confiscation and auction of property seized under this rule. –**
- (i) Subject to sub-rule (2), where the Collector upon production before him of property seized or upon receipt of report about seizure, as the case may be, is satisfied that an offence has been committed in respect thereof, he may by order in writing and for reasons to be recorded confiscate the mineral so seized together with all tools, arms, boats, vehicles, ropes, chains or any other article used in committing such offence. A copy of order on confiscation shall be forwarded without undue delay to the Mines Commissioner.
- (ii) No order confiscating any property shall be made under sub-rule 7 (i) unless the Collector—
- (a) issues a notice in writing to the person from whom the property is seized, and to any other person who may appear to the Collector to have some interest in such property;
- (b) affords an opportunity to the persons referred to above, of making a representation within such reasonable time as may be specified in the notice against the proposed confiscation, and
- (c) gives to the officer effecting the seizure and the person or persons to whom notice has been issued under clause (b), a hearing on date to be fixed for such purposes.
- (iii) No order of confiscation under sub-rule (1) of any tools, arms, boats, vehicles, ropes, chains or any other article (other than the mineral seized shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-rule 7(ii) proves to the satisfaction of the Collector that any such tools, arms, boats, ropes, chains or other articles were used without his knowledge or convenience or as the case may be, without the knowledge or convenience of his servant or agent and that all reasonable and necessary precautions had been taken against use of the objects aforesaid for commission of the offence.”
- (iv) All tools, arms, boats, vehicles, ropes, chains or other articles confiscated would be auctioned as per government rules.
- (v) Order of confiscation not to interfere with other punishment. - The order of any confiscation under Rule shall not prevent imposition of any other punishment to which the person affected thereby is liable under these rules or any other law.

8. A new rule 56(A) shall be inserted.

56(A) - Appeal against the order of confiscation.—Any person aggrieved by an order of confiscation may within thirty days of the order, or if the fact of such order has not been communicated to him within thirty days of date of knowledge of such order, prefer an appeal in writing, accompanied by such fee payable in such form as may be prescribed, along with the certified copy of order of confiscation to the Mines Commissioner (hereinafter referred to as Appellate Authority). Explanation—(1) The time required for obtaining certified copy of order of confiscation shall be excluded while computing period of thirty days referred to in this sub-rule.

(2) The Appellate Authority referred to in rule 56A, may, where no appeal has been preferred before him, “suo motu” within thirty days of date of receipt of copy of order of

confiscation by him, and shall on presentation of memorandum of appeal issue a notice for hearing of appeal or, as the case may be, of "suo motu" action to the officer effecting seizure and to any person (including appellant, if any) who in the opinion of the Appellate Authority, is likely to be adversely affected by the order of confiscation, and may send for the record of the case:

Provided that no formal notice of appeal need be issued to such amongst the appellant, officer effecting seizure and any other person likely to be adversely affected as aforesaid, as may waive the notice or as may be informed in any other manner of date of hearing of appeal by the Appellate Authority.

(3) The Appellate Authority shall send intimation in writing of lodging of appeal or about "suo motu" action, to the Collector.

(4) The Appellate Authority may pass such order of "Interim" nature for custody preservation or disposal (if necessary) of the subject matter of confiscation, as may appear to be just or proper in the circumstances of the case.

(5) The Appellate Authority having regard to the nature of the case or the complexities, involved, shall permit parties to the appeal to be represented by their respective legal practitioner.

(6) on the date fixed for hearing of the appeal or "suo motu" action, or on such date to which the hearing may be adjourned, the Appellate Authority shall peruse the record and hear the parties to the appeal if present in person, or through any agent duly authorized in writing or through a legal practitioner, and shall thereafter proceed to pass an order of confirmation, reversal or modification order of confiscation: Provided that before passing any final order the Appellate Authority may if it is considered necessary for proper decision of appeal or for proper disposal of "suo motu" action make further inquiry itself or cause it to be made by the Collector, and may also allow parties to file affidavits for asserting or refuting any fact that may raise for consideration and may allow proof of facts by affidavits.

(7) The Appellate Authority may also pass such orders of consequential nature, as it may deem necessary.

(8) Copy of final order on an order of consequential nature, shall be sent to the Collector for compliance or for passing any appropriate order in conformity with the order of Appellate Authority.

9. The Following new Rule 83(5) shall be added after rule 83(4) of the Rules :-

Rule 83(5):- Order by Collector to pay compensation

(i) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Collector, while passing an order under these rules may, if he is satisfied that any person or his property has suffered damaged due to action of the settlee/licensee, order to pay, by way of compensation, a suitable amount to such person:

(ii) In case of non-payment by the settlee/licensee, the said compensation amount within the specified time, the Collector may recover the said compensation as "Public Demand" under the Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914).

- (iii) Any person aggrieved by an order under sub-Rule (i) may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the Mines Commissioner.

Provided that no appeal can be filed against any order filed under this Rule unless 40% of the amount determined or such amount as the appellant admits to be due from him, whichever is greater is deposited by the Appellant in the Mines Commissioner's Court.

**By the Order of the Governor of Bihar,
Sushil Kumar,
Under Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 567-571+500-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>